

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 135/XXIII/2020/04(01)/2020 देहरादून दिनांक 22 फरवरी 20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक के लिये राजस्व निर्धारण का विवरण।

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दि० 01.04.20 से दि० 31.03.21 तक निर्धारित राजस्व	दि० 01.04.20 से दि० 31.03.21 हेतु लाईसेंस फीस 1 प्रतिशत	दि० 01.04.20 से दि० 31.03.21 तक लाईसेंस फीस 1000 के गुणाक	दि० 01.04.20 से दि० 31.03.21 तक वार्षिक अधिभार	प्रथम प्रतिभूति (07 दिवस के अन्दर जमा कराना अनिवार्य है)	द्वितीय प्रतिभूति (30 दिवस के अन्दर जमा कराना अनिवार्य है)	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु घरोहर धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व का 10 प्रतिशत हैसियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	टनकपुर	विदेशी	52500000	525000	525000	51975000	4331250	4331250	1312500	5250000
2	लोहाघाट	विदेशी	50000000	500000	500000	49500000	4125000	4125000	1250000	5000000
3	बनबसा	विदेशी	25000000	250000	250000	24750000	2062500	2062500	625000	2500000
4	पाटी	विदेशी	20500000	205000	205000	20295000	1691250	1691250	512500	2050000
5	देवीघूरा	विदेशी	15700000	157000	157000	15543000	1295250	1295250	392500	1570000
6	बृजनगर	विदेशी	12500000	125000	125000	12375000	1031250	1031250	312500	1250000
	विदेशी योग		176200000	1762000	1762000	174438000	14536500	14536500	4405000	17620000
7	टनकपुर	देशी	57931647	579316	579000	57352647	4779387	4779387	1448291	5793165
8	चम्पावत	देशी	45800000	458000	458000	45342000	3778500	3778500	1145000	4580000
9	लोहाघाट	देशी	41100000	411000	411000	40689000	3390750	3390750	1027500	4110000
10	बनबसा	देशी	26200000	262000	262000	25938000	2161500	2161500	655000	2620000
11	बाराकोट	देशी	14800000	148000	148000	14652000	1221000	1221000	370000	1480000
12	पुल्ला	देशी	14800000	148000	148000	14652000	1221000	1221000	370000	1480000
13	चल्थी	देशी	11000000	110000	110000	10890000	907500	907500	275000	1100000
	देशी योग		211631647	2116316	2116000	209515647	17459637	17459637		
	कुल योग		387831647	3878316	3878000	383953647	31996137	31996137		

कनिष्ठ सहायक,
चम्पावत।

आ०नि० क्षेत्र-1,
चम्पावत।

आ०नि० क्षेत्र-2,
टनकपुर।

जिला आबकारी अधिकारी,
चम्पावत।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।